आवंटन
अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–451500789010135

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर।

संख्याः 1/शा0/132/2013–1/340/2013 लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत) में प्रदेश के गैर बी0आर0जी0ए0 04 जनपदों में बहुउददेशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु धनराशि रू0–12.50 लाख का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–87/26–ब0प्र0–2013–100(2)/2013 दिनांक 14 फरवरी, 2013 द्वारा अनुदान संख्या–83 आयोजनागत के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राविधानित धनराशि ₹ 12.50 लाख **(₹ बारह लाख पचास हजार मात्र)** की सम्पूर्ण धनराशि संलग्न सूची में जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित (कालम संख्या–14) धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2012–13 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0– बी–1–1515/दस–2012–231/2012 दिनांक 09.07.2012 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 भी कराया जायेगा।

4– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या– 83 (आयोजनागत) लेखाशीर्षक "4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101–प्रदेश के गैर बी0आर0जी0एफ0 जनपदों में बहुउददेशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण (के.75/रा.25–रा.) –35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद" के नामें डाला जायगा।

6– स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

7– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

8— प्रशासनिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना से आच्छादित/स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित/स्वीकृत हों।

9— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10— आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

11— किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

12— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2012—13 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 04—03—2013 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—20 पर अंकित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/132/1/2013 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
2— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
4— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
5— जिलाधिकारी, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर।
6— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर।
7— सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
8— मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर।
9— जिला पंचायत राज अधिकारी(मु0), पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
10— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

पत्र संख्या- 1/शा0/132/2013-1/340/2013 लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2013 का संलग्नक

र्ष 2012-13 में प्रदेश के गैर बी0आर0जी0एफ0 05 जनपदों में बहुउद्देशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों का निर्माण किया जाना-

नुदान संख्या-83 (आयोजनागत)

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	जनपद	पंचायत भवन विहीन कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2012-13 में राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों / पंचायत भवन का लक्ष्य	भारत सरकार द्वारा निर्गत धनराशि (प्रथम किश्त) के क्रम में निर्धारित अनुदान संख्यावार लक्ष्य			भारत सरकार का 75% अंश रू. 7.50 लाख प्रति इकाई लागत			राज्य सरकार का 25% अंश रू. 2.50 लाख प्रति इकाई लागत			अनुदान संख्या-83 में आवंटित की जा रही धनराशि	कोषागार का प्रगामी योग
				अनुदान संख्या-14	अनुदान संख्या-83	योग	अनुदान संख्या-14	अनुदान संख्या-83	योग	अनुदान संख्या-14	अनुदान संख्या-83	योग		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	बागपत	112	23	11	0	11	82.50	0.00	82.50	27.50	0.00	27.50	**0.00**	**0.00**
	गाजियाबाद	176	28	14	1	15	105.00	7.50	112.50	35.00	2.50	37.50	**2.50**	**2.50**
	गौतमबुद्धनगर	119	12	5	1	6	37.50	7.50	45.00	12.50	2.50	15.00	**2.50**	**2.50**
	बुलन्दशहर	438	35	14	2	16	105.00	15.00	120.00	35.00	5.00	40.00	**5.00**	**5.00**
	मुजफ्फरनगर	64	64	31	1	32	232.50	7.50	240.00	77.50	2.50	80.00	**2.50**	**2.50**
	योग-	**909**	**162**	**75**	**5**	**80**	**562.50**	**37.50**	**600.00**	**187.50**	**12.50**	**200.00**	**12.50**	**12.50**

(रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र)

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या– 87 /26–ब0प्र0–2013–100(2)/2013

प्रेषक,

एन0एच0 रिजवी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ लखनऊः: दिनांकः: 15 फरवरी, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत) में प्रदेश के गैर बी0आर0जी0एफ0 04 जनपदों में बहुउद्देशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु धनराशि रू0 12.50 लाख अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या–1295/33–3–201–135/09टीसी, दिनांक 29.04.2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 12.50 (रू0 बारह लाख पचास हजार मात्र) की सम्पूर्ण धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन, जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2012–13 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रुप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09.07.2012 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 भी कराया जायेगा।

(4) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलो में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलो में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत) लेखाशीर्षक–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101–प्रदेश के गैर बी0आर0जी0एफ0 जनपों में बहुउद्देशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण

राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण (के075/रा025--रा0) 35--पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद के नामें डाला जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या--सीए--934/दस--2008--मित--1/2007, दिनांक 2--9--2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(8) प्रशासनिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना से आच्छादित/स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित/स्वीकृत हो।

(9) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0--13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत् व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

2-- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या--ई--3--173/दस--2013,दिनांक 08 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक :--यथोक्त

भवदीय,

(एन0एच0रिजवी)
संयुक्त सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-- जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी लखनऊ।
3-- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4-- मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
5-- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत लखनऊ।
6-- जिलाधिकारी, बागपत,गाजियाबाद,गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर।
7-- जिला पंचायत राज अधिकारी, बागपत,गाजियाबाद,गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर।
8-- कोषाधिकारी, बागपत,गाजियाबाद,गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर।
9-- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग--3
10-- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग--1/2
11-- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या – 87 /26-अ०प्र०-2013-100(2)/2013 दिनांक 14 फरवरी, 2013 का संलग्नक

2012–13 में प्रदेश के गैर बी0आर0जी0एफ0 05 जनपदों में बहुउद्देशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों का निर्माण किया जा

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	जनपद	पंचायत भवन विहीन कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2012–13 में राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों / पंचायत भवन का लक्ष्य	भारत सरकार द्वारा निर्गत धनराशि (प्रथम किश्त) के क्रम में निर्धारित अनुदान संख्यावार लक्ष्य			भारत सरकार का 75% अंश रू. 7.50 लाख प्रति इकाई लागत			राज्य सरकार का 25% अंश 2.50 लाख प्रति इकाई ला		
				अनुदान संख्या–14	अनुदान संख्या–83	योग	अनुदान संख्या–14	अनुदान संख्या–83	योग	अनुदान संख्या–14	अनुदान संख्या–83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बागपत	112	23	11	0	11	82.50	0.00	82.50	27.50	0.00	27.50
2	गाजियाबाद	176	28	14	1	15	105.00	7.50	112.50	35.00	2.50	37.50
3	गौतमबुद्धनगर	119	12	5	1	6	37.50	7.50	45.00	12.50	2.50	15.00
4	बुलन्दशहर	438	35	14	2	16	105.00	15.00	120.00	35.00	5.00	40.00
5	मुजफ्फरनगर	64	64	31	1	32	232.50	7.50	240.00	77.50	2.50	80.00
	योग–	**909**	**162**	**75**	**5**	**80**	**562.50**	**37.50**	**600.00**	**187.50**	**12.50**	**200.00**

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।